26/03/25

अधिवक्ता उभयपक्ष उप० प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल दावा डिक्री हो गया है। इस कारण उक्त अपील प्रभावहीन होने से अपील जरिये नोट-प्रेस खारिज करने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील जरिये नोट-प्रेस खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पत्रावली जरिये नोट-प्रेस खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner